



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]  
No. 237]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2007/ज्येष्ठ 3, 1929  
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2007/JYAISTHA 3, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2007

सा.का.नि. 389(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ( 2003 का 15 ) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, धन शोधन निवारण ( बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों के प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुस्क्षण, अनुस्क्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुस्क्षण ) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण ( बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुस्क्षण, अनुस्क्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुस्क्षण ) संशोधन नियम 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण ( बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुस्क्षण, अनुस्क्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुस्क्षण ) नियम, 2005 में -

(i) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (छ) के उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ग) बिना किसी आर्थिक संगतता या सद्भावपूर्ण प्रयोजन के प्रतीत होते हैं ; या

(घ) संदेह के युक्तियुक्त आधार देते हैं कि इसमें आतंकवाद से संबंधित क्रियाकलापों का वित्तपोषण अंतर्वलित हो सकेगा ;” ;

(ii) नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

अर्थात् :-

“(ग) ऐसे सभी नकद संव्यवहार जहां कूटसंचित या कूटकृत मुद्रा नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में प्रयोग किया गया है, या जहां किसी मूल्यवान प्रतिभूति या दस्तावेज की कूटरचना ऐसे संव्यवहारों को सुकर बनाने के लिए की गई है ;”

(iii) नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8. निदेशक को सूचना प्रस्तुत करना - (1) यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती का प्रधान अधिकारी प्रत्येक मास निदेशक को नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत आगामी मास की पन्द्रह तारीख तक सूचना देगा ।

(2) यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती का प्रधान अधिकारी, निदेशक को नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत लिखित में या फैंक्स द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक मेल द्वारा शीघ्रता से ऐसे संव्यवहार के होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के अपश्चात् सूचना देगा ।

(3) यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती का प्रधान अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि संव्यवहार संदेहजनक है निदेशक को नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत लिखित में या फैंक्स द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक मेल द्वारा शीघ्रता से ऐसे संव्यवहार के होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के अपश्चात् सूचना देगा ।

(iv) नियम 9 में, -

(क) उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (5) में, “तीन प्रमाणित प्रतियां” शब्दों के स्थान पर “एक प्रमाणित प्रति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (6) में, “तीन प्रतियां” शब्दों के स्थान पर “एक प्रमाणित प्रति” शब्द रखे जाएंगे ;

[अधिसूचना सं. 4/2007-ई.एस./फा. सं. 6/13/2005-ई.एस.]

मुकुल सिंहल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल-नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं० सा.का.नि.444(अ) तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी उनका संशोधन अधिसूचना सं० सा.का.नि.717(अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2005 द्वारा किया गया ।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2007

**G.S.R. 389(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005:—
  - (i) in rule 2, in sub-rule (1), in clause (g), for sub-clause (c), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—
    - “(c) appears to have no economic rationale or *bona fide* purpose; or
    - (d) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of the activities relating to terrorism;”;
  - (ii) in rule 3, in sub-rule (1), for clause (C), the following clause shall be substituted, namely,—
 

“(C) all cash transactions where forged or counterfeit currency notes or bank notes have been used as genuine or where any forgery of a valuable security or a document has taken place facilitating the transactions;”;
  - (iii) for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—
 

“8. **Furnishing of information to the Director.**—(1) The Principal Officer of a banking company, a financial institution and an intermediary, as the case may be, shall furnish the information in respect of transactions referred to in clauses (A) and (B) of sub-rule (1) of rule 3 every month to the Director by the 15th day of the succeeding month.

(2) The Principal Officer of a banking company, a financial institution and an intermediary, as the case may be, shall furnish the information promptly in writing or by fax or by electronic mail to the Director in respect of transactions referred to in clause (C) of sub-rule (1) of rule 3 not later than seven working days from the date of occurrence of such transaction.

(3) The Principal Officer of a banking company, a financial institution and an intermediary, as the case may be, shall furnish the information promptly in writing or by fax or by electronic mail to the Director in respect of transactions referred to in clause (D) of sub-rule (1) of rule 3 not later than seven working days on being satisfied that the transaction is suspicious;”;
  - (iv) in rule 9,—
    - (a) in sub-rules (3), (4) and (5), for the words “three certified copies”, the words “one certified copy” shall be substituted;
    - (b) in sub-rule (6), for the words “three copies”, the words “one certified copy” shall be substituted.

[Notification No. 4/2007-E.S./F. No. 6/13/2005-E.S.]

MUKUL SINGHAL, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification Number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005.